(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1788–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 8/बी–121/2015–16.

....

अकबर पिता फिदा हुसैन
निवासी ग्राम बांगला तहसील
व जिला धार

.... आवेदक

विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन

..........अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक– आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल द्वारा कलेक्टर को इस आशय का पत्र लिखा गया कि मौजा बांगला तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 172, 208 एवं 221 कुल रकबा 2.362 हेक्टेयर भूमि वक्फ समिति के रूप में अंकित है जिसका प्रबंध वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है । उपरोक्त भूमियों पर असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिसमें आवेदक आवेदक द्वारा भी अतिकमण कर मकान बना लिया गया है और खसरे कॉलम नम्बर 12 में नियम विरूद्ध अपना नाम दर्ज करा लिया है, अतः आवेदक का अवैध अतिकमण हटाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 8/बी–121/15–16 दर्ज कर दिनांक 16–5–16 को सूचना पत्र

जारी करने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दरगाह वर्षो पुरानी है और पीढी दर पीढी से आवेदक अपने पूर्वजों के समय से पूजा अर्चना करता चला आ रहा है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि दरगाह की व्यवस्था वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं की जाकर आवेदक द्वारा अपने पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा है और वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का ही कब्जा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी भी आदेश को 180 दिवस में अपास्त करना चाहिये, 23 साल बाद अपास्त करने की कार्यवाही करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है और इसी कारण बताओं सूचना पत्र के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जबकि सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष समर्थन करने के लिये आवेदक को तहसीलदार के समक्ष अवसर प्राप्त है और वह अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रख सकता है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रीमैच्योर होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर